भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–72/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
03.08.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 18.09.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 18.09.2019 को उपस्थापित करें। 3.8.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
18.09.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 21.10.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 21.10.2019 को उपस्थापित करें। 18.9.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
21.10.2019	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक–**584**, दिनांक–**15.10.2019** द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक–**19.10.2019** को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **(1) डोबरो हांसदा (2) सोमा हांसदा (3) रमेश हांसदा**, तीनों के पिता– **स्व0 बन्धुवा हांसदा**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **ठसकपुर**, पो0– **जामिद**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के प्रतिवेदनानुसार आवेदित आवासीय भूमि मौजा– **ठसकपुर**, थाना नं0– **76**, थाना– **चक्रधरपुर**, खाता नं०– **115, 117**, प्लॉट नं0– **451, 449**, रकवा क्रमशः– **3 डि0 670 वर्गकड़ी, 1 डि0 330 वर्गकड़ी**, कुल रकवा– **0.05 ए0** भूमि क्रेता **पालो कुई**, पिता– **स्व0 कोन्दा हो**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **ठसकपुर**, पो0– **जामिद**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **(1) डोबरो हांसदा (2) सोमा हांसदा (3) रमेश हांसदा**, तीनों के पिता– **स्व0 बन्धुवा हांसदा**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **ठसकपुर**, पो0– **जामिद**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना– **चक्रधरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति **हो (अ.ज.जा.)**, समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि **ईलाज हेतु** बेचना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **चक्रधरपुर** अंचल अंतर्गत **रकवा 2.02 ए0** भूमि अवशेष बचता है। बिक्रेता द्वारा शपथ पत्र संख्या–417, दिनांक–21.10.2019 समर्पित कर बताया गया है कि उक्त अवशेष भूमि के अतिरिक्त गोईलकेरा प्रखण्ड अंतर्गत 2 ए0 500 वर्गकड़ी भूमि उक्त अतिरिक्त भूमि के अलावे बिक्रेता के पास अवशेष है। कुल अवशेष भूमि 2.02 ए0 + 2.500 = 4.02.500 ए0 भूमि बिक्रेता के पास अवशेष बचता है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **(1) डोबरो हांसदा (2) सोमा हांसदा (3) रमेश हांसदा**, तीनों के पिता– **स्व0 बन्धुवा हांसदा**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **ठसकपुर**, पो0– **जामिद**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** उक्त भूमि **50,000/– (पचास हजार)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। 21.10.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	